रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272381
CG-DL-E-09052026-272381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2264]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948**
No. 2264]	**NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948**

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2355(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम अन्य लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना, 2026 है।

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. **लागू होना.-** यह योजना केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अलावा किसी भी दूसरी योजना के अधीन पंजीकृत अन्य लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों पर लागू होगी।

3. **परिभाषाएँ.-** इस योजना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

   (क) "संहिता" से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) अभिप्रेत है;

   (ख) "निगम" से कर्मचारी राज्य बीमा निगम अभिप्रेत है;

(ग) "व्यक्ति" से लाभार्थी अभिप्रेत है, जिसमें उसके परिवार के सदस्य शामिल हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई कर्मचारी राज्य बीमा योजना से भिन्न किसी भी दूसरी योजना के अधीन पंजीकृत हैं;

(घ) इस योजना में प्रयुक्त और अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः संहिता में उनके हैं।

4. पंजीकरण.- इस योजना के अधीन चिकित्सा उपचार और देखभाल का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति को-

(क) एक पंजीकरण फ़ॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से भरना अपेक्षित होगा, जिसमें उसके और उसके परिवार के सदस्यों के संबंध में ऐसा विवरण शामिल हो, जिसे निगम द्वारा निर्धारित किया गया हो;

(ख) यथास्थिति, निगम द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया गया पहचान पत्र, या केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य योजना के अधीन जारी किया गया पहचान पत्र, प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

5. हितलाभ.- इस योजना के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों को, कम उपयोग में आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों से चिकित्सा उपचार और देखभाल प्रदान की जाएगी।

6. उपयोगकर्ता प्रभार.- (1) इस योजना के अधीन चिकित्सा उपचार और देखभाल का हितलाभ उठाने वाले व्यक्तियों को, निगम द्वारा केंद्रीय सरकार के परामर्श से अधिसूचित दरों पर उपयोगकर्ता प्रभार का भुगतान करना होगा।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन एकत्रित उपयोगकर्ता प्रभार को अंशदान माना जाएगा और यह कर्मचारी राज्य बीमा कोष का हिस्सा होगा।

7. चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने का समय और रीति.- लाभार्थी, जिस समय और रीति से सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, वह ऐसी होगी जैसा कि निगम द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

8. रजिस्टर और अभिलेखों का रखरखाव.- संबंधित अस्पताल, इस योजना के अधीन चिकित्सा उपचार और देखभाल का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों और उनसे एकत्र किए गए उपयोगकर्ता प्रभारों के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर और अभिलेख ऐसे स्वरूप और रीति से रखेंगे, जैसा कि निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

[फा. सं. आर-19025/19/2026-एस एस-I]

आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2355(E).— In exercise of the powers conferred by section 44 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) This Scheme may be called the other beneficiaries and members of their families medical facilities Scheme, 2026.

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** This Scheme shall apply to other beneficiaries and members of their families registered under any scheme, other than the Employees' State Insurance Scheme, framed by the Central Government.

3. **Definitions.-** In this scheme, unless the context otherwise requires-

   (a) "Code" means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);

(b) "Corporation" means the Employees' State Insurance Corporation;

(c) "person" means a beneficiary, including members of his or her family, registered under any scheme, other than the Employees' State Insurance Scheme framed by the Central Government;

(d) All other words and expressions used and not defined in this scheme shall have the meaning respectively assigned to them in the Code.

4. **Registration.-** A person desirous of availing medical treatment and attendance under the Scheme shall be required to-

(a) fill a registration form containing such particulars electronically or otherwise in respect of himself and members of his family as may be specified by the Corporation;

(b) produce the identity card issued to such person by the Corporation or under any other scheme, as the case may be, framed by the Central Government.

5. **Benefits.-** Persons registered under this scheme shall be provided medical treatment and attendance from under-utilised Employees' State Insurance Hospitals.

6. User Charges.- (1) Persons availing medical treatment and attendance under this Scheme shall be required to pay user charges at such rates as may be notified by the Corporation in consultation with the Central Government.

(2) The user charges collected under sub-paragraph (1) shall be deemed to be contribution and shall form part of the Employees' State Insurance Fund.

7. **Time and manner of availing Medical Facility.-** The time and manner in which the facilities may be availed by the beneficiaries shall be such as may be specified by the Corporation from time to time.

8. **Maintenance of register and records.-** The concerned hospitals shall maintain separate electronic registers and records of the beneficiaries availing medical treatment and attendance under this scheme and user charges collected from them in such form and manner as may be specified by the Corporation.

[F. No. R-19025/19/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA